सालों के परिचित ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर डाली थी डकैती

बुजुर्ग दम्पति की हत्या सहित डकैती का कमिश्नरेट पुलिस की टीमों ने किया अनावरण
-पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने महज 7 दिन के अंदर दोहरे हत्याकांड और डकैती का किया खुलासा
-ककवन थाना क्षेत्र में बीती 12- 13 जनवरी की रात को हुई थी वारदात
-घटना में शामिल छह अभियुक्तों में से चार गिरफ्तार लूटा गया माल हुआ बरामद
-वारदात करने वाले सभी अभियुक्त जनपद औरैया के बिधूना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं
- घटना में शामिल मास्टरमाइंड हिमांशु और एक अन्य की तलाश में जुटी पुलिस टीमें
-पुलिस आयुक्त ने फरार दोनों अभियुक्तों पर घोषित किया 50- 50 हजार रुपए का इनाम
-हत्याकांड का खुलासा करने वाली पूरी टीम को पुलिस आयुक्त ने दिया ₹100000 का इनाम

कानपुर। थाना क्षेत्र ककवन के अंतर्गत ग्राम फत्तेपुर में दिनांक 13 जनवरी की रात को हुई दोहरी हत्या एवं डकैती का महज 7 दिन के अंदर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना में शामिल छह अभियुक्तों में से 4 को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। घटना में शामिल दो अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। वारदात का खुलासा करने वाली टीमों को पुलिस आयुक्त द्वारा एक लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है।

घटनाक्रम के अनुसार अज्ञात बदमाशों के द्वारा राजकुमार पुत्र छम्मी लाल के घर में अंदर घुसकर, उसके वृद्ध पिता छम्मी लाल उम्र 78 वर्ष एवं माता इमरती देवी उम्र 75 वर्ष की गला घोंट कर हत्या कर दी तथा उसकी पत्नी सपना को डरा धमका कर अलमारी में रखे आभूषण एवं नगदी लूटकर एवं सपना को बंधक बनाकर चले गये। इस घटना के संबंध में थाना ककवन पर मु0अ0सं0 05/2023 धारा अन्तर्गत धारा 396 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड मौके पर पहुंचे और घटना के शीघ्र खुलासे के लिए निर्देश दिए गए थे।

जांच के लिए 05 पुलिस टीमें गठित कर मोबाइल सर्विलांश, ह्यूमन इन्टेलीजेन्स एवं फोरेन्सिक/तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करते हुए सभी सार्थक प्रयास किए गए। पुलिस टीम द्वारा प्रयास करते हुए वारदात के दिन मौजूद बहु सपना से कई दौर की बातचीत में उनके द्वारा उनकी शारीरिक बनावट एवं हुलिया के सम्बन्ध में (जितना भी वह खुले हुये चेहरे से देख पायी) कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके अतिरिक्त ग्राम फत्तेपुर के इनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों से भी अहम सुराग प्राप्त हुए। इससे प्रकाश में आया कि 06 अभियुक्तों के द्वारा यह घटना कारित की गयी थी। जिनमें से 04 अभियुक्तों को 20.01.2023 को निचली गंग नहर पुल ककवन से ककवन झाल की तरफ रोड से गिरफ्तार किया गया है एवं लूटी गयी नगदी व आभूषण को भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों द्वारा अपने दो अन्य साथियों के बारे में बताया गया। जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान

1. विवेक कुमार यादव पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम पटना अहिरवा कटरा जनपद औरैया उम्र 24 वर्ष (पेशा- सटरिंग का काम)
2. ईशू उर्फ अखिलेश चौहान पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी ग्राम सूरजपुर जनपद औरैया उम्र 21 वर्ष (पेशा- बीएससी तृतीय वर्ष)
3. शिशु यादव उर्फ अभिषेक पुत्र करणवीर सिंह निवासी नगला वीजा पटना जनपद औरैया उम्र 22 वर्ष (पेशा- कृषि)
4. अतुल कुमार पुत्र मुन्नु उर्फ सुरेश निवासी ग्राम रूपपुर थाना अछल्दा जनपद औरैया जनपद औरैया उम्र 23 वर्ष (पेशा- कृषि)

अभियुक्तगणों से बरामदगी एक नाजायज तमंचा .315 बोर मय, 01 नाजायज जिन्दा कारतूस .315 बोर, एक नाजायज तमंचा 12 बोर व दो नाजायज जिन्दा कारतूस 12 बोर,एक हीरो स्पेलण्डर नं0 UP79X7173 रंग गहरा सुनहरा (घटना में प्रयुक्त मो0सा0), समस्त अभियुक्तगणों से बरामद नगदी 20100 रुपये (लूटी गयी नगदी), बच्ची के हाथ के खडुआ सफेद धातु के (दो जोड़ी), बच्ची की कमर में पहनाने वाली सफेद धातु की करधनी जिसमें बजनी घुंघरू 04 एवं 02 मूँगा, दो नग नारियल सफेद धातु के पुराने पिचके हुए। 08 नग सुपाड़ी सफेद धातु की बरामद हुई। घटना में प्रयुक्त दूसरी मोटर साइकिल पल्सर जो अभी बरामद नहीं हुयी है। जिसकी बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

ऐसे हुई पूरी वारदात गिरफ्तार
अभियुक्तों से पूछताछ में उनके द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया और बताया गया कि दिनांक 12/13 की रात्रि वह 06 लोग पूरी योजना के साथ, दो मोटर साइकिल पर सवार होकर मृतक के घर पर लगभग समय 23.00 बजे पहुंचे। उनका एक साथी हिमांशु जो इस घटना का मास्टर माइन्ड था वह मृतक के परिवार व राजकुमार एवं उसके परिवार से पूर्व से कई वर्षों से परिचित था और मृतक छम्मीलाल को “नाना” कहकर सम्बोधित करता था।

हिमांशु ने खुलवाया दरवाजा
हिमांशु द्वारा घर का दरवाजा खटखटाकर, अपना परिचय देते हुए गुटका लेने के बहाने दरवाजा खुलवाया तथा घर में प्रवेश किया और छम्मीलाल से उसे व उसके साथियों को रात्रि में वहीं रुकने हेतु आग्रह किया गया। जिस पर छम्मीलाल द्वारा उनके लिए घर के बरामदे में रुकने हेतु बिस्तर एवं रजाई की व्यवस्था कर दी।

रात तीन बजे की वारदात
रात्रि को समय लगभग 03.00 बजे जब छम्मीलाल और उनकी पत्नी गहरी नींद में सोये थे तब हिमांशु ने अपने साथियों के साथ मिलकर वृद्ध दम्पत्ति की गला घोंट कर हत्या कर दी और सपना के कमरे में जाकर तमंचे से डराकर अलमारी में रखी नगदी और जेवरात निकाल लिये और उसे बंधक बनाकर दोनों मोटर साइकिल पर सवार होकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

कई साल से परिचित था मास्टर माइंड हिमांशु
राजकुमार के द्वारा बताया गया कि हिमांशु से उनका कई साल का परिचय है क्योंकि हिमांशु के मामा ग्राम बछना थाना बिल्हौर में रहते हैं और राजकुमार की तीन बहनों 1. रानी 2. सोनतारा 3. नन्ही की शादी हिमांशु के गाँव के समीप गाँव चिकता थाना बिधूना जनपद औरैया में हुयी है। जब भी राजकुमार अपनी बहन के घर जाता था तब हिमांशु के घर भी जरूर मिलने जाता था।

तरक्की देख हिमांशु ने बनाया प्लान विगत कुछ वर्षों में राजकुमार ने अपने जीवन में काफी तरक्की की थी और हिमांशु को लगता था कि राजकुमार के पास काफी धन दौलत होगी। इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना की साजिश रची थी।

टीम को मिला एक लाख का इनाम हत्यायुक्त डकैती की
पूरी घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड द्वारा टीम को उत्साहवर्धन हेतु एक लाख रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की गई है।

फरार अभियुक्तों पर 50 हजार का इनाम डकैती की घटना में फरार चल रहे शेष दो अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त ईशू उर्फ अखिलेश चौहान पुत्र जितेंद्र सिंह उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 795/2019 धारा 420 भादवि 66 आई0टी0एक्ट थाना बिधूना जनपद औरैया
2. मु0अ0सं0 298/22 धारा 323/376/506 भादवि थाना बिधूना जनपद औरैया
3. मु0अ0सं0 05/23 धारा 396/411 भादवि थाना ककवन कमिश्नरेट कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विवेक कुमार यादव पुत्र मोहन सिंह उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 05/23 धारा 396/411 भादवि थाना ककवन कमिश्नरेट कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 07/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ककवन कमिश्नरेट कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शिशु यादव उर्फ अभिषेक पुत्र करणवीर सिंह उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 05/23 धारा 396/411 भादवि थाना ककवन कमिश्नरेट कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 08/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ककवन कमिश्नरेट कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अतुल कुमार पुत्र मुन्नु उर्फ सुरेश

1. मु0अ0सं0 05/23 धारा 396/411 भादवि थाना ककवन कमिश्नरेट कानपुर नगर

इसके अलावा अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के बारे में जनपद औरैया व अन्य सरहदी जनपदों से आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम में बृजमोहन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ककवन, निरीक्षक पंकज सिंह अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक थाना कर्नलगंज, उ0नि0 प्रेमचन्द्र थानाध्यक्ष थाना अर्मापुर, उ0नि0 शिव प्रताप सिंह प्रभारी स्वाट टीम पश्चिम, उ0नि0 यतीश कुमार टीम पश्चिम जोन, उ0नि0 नीरज बाबू व0उ0नि0 थाना बिल्हौर, उ0नि0 सौरभ कुमार द्विवेदी थाना ककवन, उ0नि0 गौरव कुमार थाना ककवन,उ0नि0 विशाल चौधरी थाना ककवन, उ0नि0 विष्णु यादव थाना ककवन, हे0का0 हरिओम स्वाट टीम पश्चिम जोन, हे0का0 बृजपाल सिंह स्वाट टीम संयुक्त पुलिस आयुक्त, हे0का0आशीष कुमार थाना ककवन, क0ऑ0 रवि शुक्ला थाना ककवन, का0 अमित त्रिपाठी सर्विलांस सेल संयुक्त पुलिस आयुक्तका0 अमर श्रीवास्तव सर्वालांस सेल संयुक्त पुलिस आयुक्त, का0 परशुराम सर्विलांस सेल टीम पश्चिम जोन, का0 संजय सर्विलांस सेल टीम पश्चिम जोन, का0 धर्मेन्द्र सिंह सर्विलांस सेल टीम पश्चिम जोन, का0 अवधेश कुमार सर्विलांस सेल टीम पश्चिम जोन, का0 सतनाम सिंह सर्विलांस सेल टीम पश्चिम जोन, का0 रजनेश कुमार थाना ककवन, का0राजवर्धन गंगवार थाना ककवन, का0 प्रेमवीर सिंह स्वाट शाखा संयुक्त पुलिस आयुक्त, का0 बबलू स्वाट शाखा संयुक्त पुलिस आयुक्त, का0 अंकुश मलिक, का0 यतिन कुमार, का0 विनीत कुमार, का0 देशराज सिंह, म0का0 पूनम खोखर शामिल रहे।